न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : सुश्री पार्थवी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 45/19 GCMS id : 2019/00062

देवकरण आत्मज श्री कालूलाल, जाति गुर्जर, निवासी अरनियांकलां, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादी)

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा
2. दुर्गाशंकर पुत्र रामप्रताप, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम भीलोत, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

3–4. देवबाई पुत्री रामप्रताप, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम भीलोत, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

5. मनभर पुत्री रामप्रताप पत्नी द्वारका, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम भीलोत, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा हाल निवासी फाटाखेडा, कोटा

– (प्रतिवादीगण)

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर॰टी॰ एक्ट

दिनांक : 13.09.2021

उपस्थिति : श्री तेजसिंह धाभाई, वादी अभिभाषक

निर्णय

1- वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया।

2- वादी की ओर से पेश किये गये वादपत्र में निवेदन किया गया कि –

* ग्राम लक्ष्मीपुरा, उपतहसील मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में खसरा नम्बर 27 रकबा 0.31 हैक्टर आराजी स्थित है।
* वादी द्वारा उक्त आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र मुसम्मात नन्द किशोर उर्फ नन्दकिशोरी एवं पुष्पा पिसरान केसर जाति गुर्जर निवासी भीलोत तहसील लाड़पुरा जिला कोटा से दिनांक 22.07.1982 क्रय की थी जिसके विक्रय पत्र का पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक, कोटा में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 400 क्रम संख्या 945 पृष्ठ 349 से 352 पर दिनांक 22.07.1982 को हो रहा है। खरीद की दिनांक से वादी का ही कब्जा उक्त आराजी पर चला आ रहा है।
* आराजी क्रय करने के पश्चात वादी उक्त आराजी का फौती इन्तकाल खुलवाने प्रतिवादी क्रम 1 के यहां गये तो प्रतिवादी क्रम 1 ने कहा कि आपका इन्तकाल 7–8 दिन में खोल दिया जावेगा। प्रतिवादी क्रम 1 के इस आश्वस्त हो गया ओर इसी भरोसे में रहा कि वादी द्वारा उक्त क्रय की गयी आराजी वादी के नाम दर्ज हो चुकी है।
* नवम्बर 2010 को वादी को पता चला कि उक्त आराजी राजस्व रिकोर्ड में वादी के नाम दर्ज करने के स्थान पर नन्द किशोर उर्फ नन्द किशोरी एवं पुष्पा पिसरान केसर जाति गुर्जर निवासी भीलोत तहसील लाड़पुरा जिला कोटा के

वारिसान प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 4 के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी।

* वादी द्वारा इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 27.11.2010 को नायब तहसीलदार के यहां दिया गया ओर यह निवेदन किया गया कि उक्त आराजी वादी द्वारा क्रय की गयी है जिसका इन्द्राज वादी के नाम पर खोला जावे परन्तु तहसील द्वारा वादी का नाम दर्ज करने के स्थान पर उक्त आराजी को नन्द किशोर उर्फ नन्द किशोरी एवं पुष्पा पिसरान केसर जाति गुर्जर निवासी भीलोत तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान के नाम दर्ज कर दिया।

* वादी को उक्त आराजी का स्वयं को खातेदार घोषि कराने एवं तदनुसार इन्द्राज दुरूस्त कराने का अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 4 वादी के कब्जे एवं काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें इस हेतु प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का भी वादी को अधिकार प्राप्त है।

* वादी को कोटा के भूमि के दलाल ने गांव में आकर जानकारी दी है कि प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 4 ने उसे भूमि बेचने की बात की है जिससे वह भूमि देखने आया है तथा भूमि को खरीदने के पश्चात भूमि पर कब्जा करेगा। इस पर वादी ने उस दलाल को सारी स्थिति स्पष्ट कर दी कि भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 4 के कोई अधिकार शेष नहीं रहे है तथा वे भूमि विक्रय नही कर सकते तथा वादी किसी भी अवस्था में कब्जा नही करने देगा जिससे वादी के लिये यह वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 4 का राजस्व अभिलेखों में से नाम हटाकर वादी का नाम दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है अन्यथा प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 4 जमाबंदी में अपना नाम दर्ज होने से अन्य को विक्रय कर सकता है।

* वाद कारण उक्त आराजी का राजस्व रिकोर्ड में वादी के नाम इन्द्राज की कहने पर प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा आश्वासन दिये जाने के बावजूद वादी के नाम इन्द्राज नहीं खोलने और प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 4 के नाम गलत इन्द्राज खोलने तथा अंतिम रूप से कोटा के दलाल द्वारा उक्त आराजी को क्रय करने की सूचना देने पर उत्पन्न हुआ है।

* प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 4 वादी की कृषि आराजी को बेचने को आमादा है जिसके संबंध में उन्होने दलालों से बातचीत भी कर ली है। ऐसी अवस्था में यदि राज्य सरकार को धारा 80 सीपीसी का सूचना पत्र दिया तथा दो माह तक का इंतजार किया तो वादी वाद फलरहित हो जावेगा तथा वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना संभाव नहीं होगा। वादी इस हेतु सूचना पत्र दिये वाद प्रस्तुत कर रहा है।

* वादग्रस्त कृषि भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से उपरोक्त वाद को सुनने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

* अतः वादी को ग्राम लक्ष्मीपुरा उपतहसील मण्डाना तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की खतौनी संख्या नया 3 पुराना 3 की पुराना खसरा नम्बर 37 नया खसरा नम्बर 27 रकबा 0.31 हैक्टर आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 4 का नाम जमाबंदी से हटाया जाकर वादग्रस्त आराजी वादी के नाम दर्ज करने की डिक्री वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के

ACM (HQ) Kota

विरूद्ध प्रदान की जावे तथा प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 4 को जयें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे एवं उनके परिवार के सदस्य वादग्रस्त आराजी में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप नहीं करें।

* वादी की ओर से अपने समर्थन में वाद पत्र के साथ निम्नानुसार दस्तावेजात पेश किये गये –

प्रदर्शः–1 विवादित आराजी का विक्रय पत्र की नकल।

प्रदर्शः–2 ग्राम लक्ष्मीपुरा (सांवठा), के खसरा नम्बर 27 की नकल जमाबन्दी संवत 2038–2057

प्रदर्शः–3 ग्राम लक्ष्मीपुरा, के खसरा नम्बर 27 की नकल जमाबन्दी संवत 2066–2069

3- प्रतिवादी क्रम 2, 3 की ओर से वादपत्र का जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि –

- ❖ वादी ने उक्त आराजी कभी बेचान नही की, न ही वादी ने क्रय की, न ही वादी का कब्जा है, न ही कब्जा रहा है। जो पंजीयन विक्रय के बाबत् बताया गया है, वह फर्जी तरीके से बनाया गया है।
- ❖ वादी को शुरू से आज दिन तक जानकारी है, प्रतिवादी 2 से 4 की माता के मरने के बाद ही उक्त आराजी का नामांतरण तस्दीक हुआ। प्रतिवादीगण ही एक मात्र लीगल वारिस है और उक्त आराजी के एक मात्र मालिक है।
- ❖ वादी अपने नाम से नामांतरण तस्दीक कराने वाला कौन होता है।
- ❖ वादी को प्रतिवादीगण का नाम हटवाने का कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नही है।
- ❖ धारा 80 सीपीसी वाद पेश करने से पूर्व प्रस्तुत करना विधिक रूप से आवश्यक है। कानूनी प्रावधानों के तहत दिया जाने वाला नोटिस 80 सीपीसी के अभाव मे वाद चलने योग्य नही है।
- ❖ **अतिरिक्त कथन** में निवेदन किया गया कि वादी द्वारा फर्जी, बनावटी रजिस्ट्री बनावाकर वाद पेश किया है, जो चलने योग्य नही है, क्योंकि 1982 में क्रय करने के बाद वाद लेकर आया है, प्रतिवादीगण के द्वारा कोई आराजी का विक्रय नही किया गया है, इतने दिनो से वादी के द्वारा यदि आराजी क्रय करता तो अपने नाम से नामांतरण तस्दीक कराया गया, प्रतिवादीगण के द्वारा बेचान की बात बताता है। प्रतिवादीगण तथा प्रतिवादीगण की मां को यह जानकारी तक नही है कि उन्होने कब आराजी बेचान कर दी, क्योंकि न तो आराजी को बेचान किया न ही आराजी पर कब्जा ही दिया, प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है, ऐसी अवस्था में वादी का वाद चलने योग्य नही है।
- ❖ उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण की मां को नाना से मिली थी, जब से ही आराजी पर काबिज काश्त करते हुए आ रहे है। 30–40 वर्षो से भी अधिक समय से काबिज काश्त है, आज भी काबिज काश्त है, वादी ने गलत रूप से घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है, जो चलने योग्य नही है, क्योंकि रिकोर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती वादी बताता है कि उक्त आराजी क्रय की गई थी, क्रय के बारे में आज दिन तक प्रतिवादीगण को नही बताया, वादी 1982 से क्रय करना बताता है, जो वादी 1982 मे आराजी क्रय करना बताता है, वाद मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है।
- ❖ वादी को उक्त आराजी को कभी बेचान नही किया है, न ही कब्जा दिया है, प्रतिवादीगण का नाम ही राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज चला आ रहा है, प्रतिवादीगण ही

काबिज काश्त चले आ रहे है, वादी गलत रूप से महज परेशान करने की गरज से फर्जी तरीके से रजिस्ट्री लेकर आया, ऐसी स्थिति मे प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के विरूद्ध फौजदारी व रजिस्ट्री केंसिलेशन की कार्यवाही की जा रही है। वादी का उक्त आराजी से कोई वास्ता नही है न ही कभी कब्जा रहा है, ऐसी स्थित में घोषणा का वाद चलने योग्य नही है, क्योंकि प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर काबिज है व वर्षों से काश्त कर रहे है। राजस्व रिकोर्ड में आराजी प्रतिवादीगण के नाम अमल दरामद है, ऐसी स्थिति में वादी की रजिस्ट्री शून्य घोषित कर वाद सव्यय खारिज होने योग्य है। अतः जबाव दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावें।

4- प्रकरण के वादपत्र एवं जवाब दावा का तुलनात्मक विवेचन कर निम्नानुसार तत्कालीन विवाद्यक बिन्दु कायम किये गये थे।

a) आया वादी ने विवादित आराजी पंजीकृत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की थी। —(वादी)

b) आया वादी विवादित आराजी को राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने एवं प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। —(वादी)

c) आया प्रतिवादीगण ने कभी विवादित आराजी का बेचान नहीं किया है तथा 1982 में की गई रजिस्ट्री फर्जी है। —(प्रतिवादीगण)

d) अनुतोष ?

दौराने वाद, वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 10 सीपीसी पेश कर निवेदन किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 27 को सरकार द्वारा मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय बाघ संरक्षण के लिये आरक्षित की गई है। जिसका मुआवजा प्रतिवादीगण को भुगतान कर दिया गया है। जो प्रतिवादीगण से न्यायालय में जमा कराई जावे तथा वाद का निर्णय होने पर वास्तविक अधिकारी को मुआवजा राशि प्रदान की जावे। उक्त प्रार्थना पत्र एवं दौराने वाद पेश किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11, दोनों निर्णित किये जा चुके है तथापि विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख के इन्द्राज के आधार पर प्रकरण में निम्नानुसार अतिरिक्त तनकी बनाई जाती है।

e) आया वर्तमान खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। —(प्रतिवादीगण)

5- उपरोक्तानुसार प्रकरण में कायम की गई तनकीयात को प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर निम्नानुसार तय की जाती है –

a) *आया वादी ने विवादित आराजी पंजीकृत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की थी –*

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में विक्रय पत्र दिनांक 01.07.1982 की नकल पेश की गई जिसके अनुसार वादी द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 37 की 1 बीघा 18 बिस्वा आराजी क्रय की गई है। इस प्रकार वादी के कथन की पुष्टि होने से यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

b) *आया वादी विवादित आराजी को राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने एवं प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है –*

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा अपने समर्थन में पेश किये गये विक्रय पत्र दिनांक 01.07.1982 के आधार पर घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का यह दावा पेश किया गया है। प्रकरण के साक्ष्यों व गुणावगुण के आधार पर इस वाद में वादी को खातेदार घोषित किये जाने की स्थिति में ही उसके स्थायी निषेधाज्ञा के वाद का औचित्य रह जाता है। ज्ञातव्य है कि राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम की धारा 188 के अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा के लिये केवल खातेदार (आसामी) द्वारा ही वाद लाया जा सकता है। घोषणात्मक वाद व स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में, वाद के प्रस्तुतीकरण की तिथि पर उपलब्ध अधिकारों के आधार पर निर्णय किया जाता है। वादी की ओर से प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 08.04.2011 को न्यायालय में पेश किया गया। उक्त दिवस तक वादी विवादित आराजी का खातेदार नहीं था। वादी, विवादित आराजी पर अपना कब्जा सिद्ध करने में भी असफल रहा है। विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार घोषित होने के लिये वादी को उक्त विक्रय पत्र को सिद्ध करना था जो कि उनके द्वारा किसी साक्ष्य के माध्यम से नहीं किया गया है। वादी से की गई जिरह में वादी द्वारा कथन किया गया है कि रजिस्ट्री कराने की तारीख मुझे याद नहीं है। मैने जमीन का नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही नहीं की, ना तहसील में प्रा. पत्र दिया था। इससे स्पष्ट है कि उक्त विक्रय पत्र प्रमाणित नहीं हो पाया है। फलस्वरूप अप्रमाणित विक्रय पत्र के आधार पर वादी खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार दावा पेश करने की तिथि को वादी के खातेदार नहीं होने के कारण यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

c) *आया प्रतिवादीगण ने कभी विवादित आराजी का बेचान नहीं किया है तथा 1982 में की गई रजिस्ट्री फर्जी है –*

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने विक्रय पत्र को निरस्त करवाने का दावा माननीय सिविल न्यायालय में किया होना बताया है किन्तु इस प्रकार का कोई दावा होने सम्बन्धी साक्ष्य पेश नहीं किये गये है। इस प्रकार प्रतिवादी के कथनों की पुष्टि नहीं होने से यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

e) *आया वर्तमान खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है –*

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित खसरा नम्बर वर्तमान में वन विभाग के खाते दर्ज है। वादी द्वारा जिस समय अपना दावा पेश किया गया था उस समय विवादित आराजी प्रतिवादीगण के खाते दर्ज होने उन्हें पक्षकार बनाया गया था। वादी इस बात से अभिज्ञ था कि विवादित आराजी वन विभाग के खाते दर्ज चुकी है तथापि माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा से प्रतिप्रेषित होने के बावजूद भी वादी द्वारा वन विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया। यह तो न्याय का महत्वपूर्ण सिद्धान्त रहा है कि जिसका में हिस्से ले रहे है, उसे पक्षकार तो बनावे। इस प्रकार वन विभाग को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

d) . अनुतोष ?

प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से आराजी क्रय किया जाना अंकित करते हुये वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किये जाने एवं प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने का दावा पेश किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में पेश किये गये विक्रय पत्र को अवैध मानते हुये तथा वर्तमान खातेदार "वन विभाग" को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण वादी का दावा खारिज किये जाने सम्बन्धी अनुतोष चाहा गया है।

5- इस न्यायालय में प्रकरण के प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त होने के बाद प्रतिवादीगण में से किसी के भी उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण पर वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई। वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के कथनों

को दोहराते हुये वादी द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की गई आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

6- हमने वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। वादी की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 का अनुतोष प्राप्त करने के लिये अपना दावा पेश किया गया है। इसमें वादी द्वारा वाद कारण का उल्लेख किया है किन्तु यह कहीं भी उल्लेखित नहीं किया कि वाद कारण कब उत्पन्न हुआ। इस प्रकार आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत भी वाद कारण उत्पन्न होने का पूर्ण विवरण (दिनांक आदि) अंकित नहीं होना भी वादपत्र की परिस्थितियों के प्रतिकूल है। वादी द्वारा विवादित आराजी को वर्ष 1982 में क्रय किया जाना उल्लेखित किया है परन्तु उक्त आराजी को अब तक अपने खाते दर्ज नहीं करवाने का किसी प्रकार का कोई कारण उल्लेखित नहीं किया है। वादी ने ऐसा कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया जिससे वह, यह कह सके कि उसके द्वारा इंतकाल खुलवाने का प्रयास तो किया लेकिन इंतकाल खोला नहीं गया। उपरोक्तानुसार प्रकरण में तय की गई तनकीयात के विवेचन से स्पष्ट है कि वादी ने विवादित आराजी पंजीकृत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की थी किन्तु क्रय के लगभग 40 वर्षो तक उसका इंतकाल नहीं खुलवाया गया। इसी दौरान विवादित आराजी वन विभाग द्वारा अवाप्त कर ली गई तथा वर्तमान में वन विभाग के खाते दर्ज हो चुकी है। आदिनांक तक वादी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं होने के कारण (खातेदार नहीं होने से) वह स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यह एक विधिसंगत तथ्य है कि जिसके खाते की आराजी को वादी प्राप्त करना चाहता है उसे नियमानुसार पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। किसी भी प्रकरण में विवादित आराजी का खातेदार आवश्यक पक्षकार भी है और उचित पक्षकार भी है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी वर्तमान में वन विभाग के खाते दर्ज होने के बावजूद भी वादी द्वारा वर्तमान खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। विवादित आराजी वन विभाग के खाते दर्ज होने के कारण उक्त आराजी कृषि आराजी नहीं रही है। यह न्यायालय कृषि आराजी से सम्बन्धित विवादित प्रकरणों की सुनवाई हेतु ही अधिकृत है। वादी, विवादित आराजी पर अपना कब्जा भी सिद्ध नहीं कर पाया है। साक्ष्यों के माध्यम से भी वादी विअपना दावा सिद्ध नहीं कर पाया है। अतः प्रकरण को इस न्यायालय में प्रतिप्रेषित किये जाने के बावजूद वादी द्वारा वर्तमान खातेदार (वन विभाग) को पक्षकार नहीं बनाये जाने, विवादित आराजी वर्तमान में कृषि आराजी नहीं होने से उक्त प्रकरण अब इस न्यायालय के क्षत्राधिकार व श्रवणाधिकार में नहीं होने तथा वादी द्वारा अपने विक्रय पत्र एवं वाद को सिद्ध नहीं कर पाने के कारण वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

7- यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 13.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुश्री पार्थवी) R.A.S.
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

ACA (HQ) Kota
Devkaran.Sarkar

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – सुश्री पार्थवी, R.A.S.

बउनवान :–

देवकरण आत्मज श्री कालूलाल, जाति गुर्जर, निवासी अरनियांकलां, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादी)

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा
2. दुर्गाशंकर पुत्र रामप्रताप, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम भीलोत, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

3–4. देवबाई पुत्री रामप्रताप, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम भीलोत, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

5. मनभर पुत्री रामप्रताप पत्नी द्वारका, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम भीलोत, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा हाल निवासी फाटाखेडा, कोटा

– (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88,188 RTA
मुकदमा नम्बर : 45 / 19
निर्णय दिनांक : 13-09-2021

GCMS id : 2019 / 00062

न्यायालय हाजा में विद्वान वादी अभिभाषक श्री तेज सिंह धाभाई की उपस्थिति में वादपत्र की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 13–09–2021 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी सुश्री पार्थवी, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर अतः प्रकरण को इस न्यायालय में प्रतिप्रेषित किये जाने के बावजूद वादी द्वारा वर्तमान खातेदार (वन विभाग) को पक्षकार नहीं बनाये जाने, विवादित आराजी वर्तमान में कृषि आराजी नहीं होने से उक्त प्रकरण अब इस न्यायालय के क्षत्राधिकार व श्रवणाधिकार में नहीं होने तथा वादी द्वारा अपने विक्रय पत्र एवं वाद को सिद्ध नहीं कर पाने के कारण वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 13 सितम्बर, 2021 को न्यायालय की मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(सुश्री पार्थवी) R.A.S.
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

वादी		रूपया	प्रतिवादी		रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शों के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	